



**उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग**  
निकट-महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।  
वेबसाइट-[www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) mail: [chayanayog@gmail.com](mailto:chayanayog@gmail.com)  
फोन न० 0135-2669658 फैक्स न० 0135-2672902

पत्रांक:-परीक्षा / 160

/2024-25 दिनांक: 25 जुलाई, 2024


**विज्ञापित**

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पदनाम-कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री आपरेटर/कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर/टंकक/टाईपिस्ट, कर संग्रहकर्ता, अमीन/भूमि अध्यापित निरीक्षक, सर्वे लेखपाल, रिकार्ड कीपर, पेशकार, टेलीफोन ऑपरेटर, स्वागती पदों के लिए दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को प्रथम पाली में प्रातः 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 02:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर टेलीफोन ऑपरेटर के अवशेष पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) पर प्रकाशित की जा रही है। यह औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात् अर्ह अभ्यर्थी को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जायेगा।

तदनुसार औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन दिनांक 29 जुलाई, 2024 को आयोग में किया जायेगा। अतः औपबन्धिक रूप से चयनित अभ्यर्थी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :-

1. औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों (जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गये शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) व 06 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 11.00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र/उपाधि तथा स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
4. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट) एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों के अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
5. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
6. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

  
(सुरेन्द्र सिंह प्रवत)  
सचिव




## UTTARAKHAND SUBORDINATE SERVICE SELECTION COMMISSION

### PROVISIONAL MERIT LIST OF CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION

पदनाम— टेलीफोन ऑपरेटर (राज्य सम्पत्ति विभाग)

S. No	Roll No	Candidate Name	Father's Name	Gender	Cate.	Sub Cate.	Marks	Gen Rank	Select As
<b><u>GENERAL MERIT LIST</u></b>									
1	2403761567	MAHESH CHANDRA	DAYA KRISHNA	MALE	EWS	NA	50.76964	6560	OPEN(1)

यह श्रेष्ठता सूची पूर्णतः औपबन्धिक है। श्रेष्ठता सूची की सामान्य रैंक उत्तराखंड (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 व उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या -220/XXX (4)/2017-03 (10/2017) दिनांक 19 जुलाई, 2017 तथा उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 179/XXX (2) 2021 - 30 (2)/2019 दिनांक 31/10/2021 के आधार पर तैयार की गयी है। अभिलेख सत्यापन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं व उसकी पुष्टि के आधार पर स्वीकार किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधित विभाग हेतु संस्तुति की जाएगी। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

  
हिमांशु कफलिया  
परीक्षा नियंत्रक  
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  
देहरादून